# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

**पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)**

## अपील संख्या : 2025/244

ईराम उर्फ विनोद गुप्ता पुत्री प्रेमलता पत्नि मुनव्वर शाह जाति महाजन निवासी ग्राम गन्दीफली तहसील लाडपुरा जिला कोटा हाल निवासी सैयदो का मोहल्ला टोंक जिला टोंक राज0

——अपीलांट

**बनाम**

1. बृजबाला गुप्ता पुत्री भैरूलाल गुप्ता पत्नि सुरेश कुमार गुप्ता निवासी ग्राम बडोदिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा हाल निवासी 1–जे–30, विकास नगर बून्दी
2. मिहिर पोकरा पुत्र स्व0 राकेश गुप्ता जरिये वली माता राधा गुप्ता पत्नि स्व0 राकेश गुप्ता
3. मान्या पोकरा नाबालिग पुत्री स्व0 राकेश गुप्ता जरिये वली माता राधा गुप्ता पत्नी स्व0 राकेश गुप्ता
4. राधा पत्नि स्व0 राकेश गुप्ता
   निवासीगण 257 आदर्श कॉलोनी मैन रोड खेडली फाटक कोटा राज0
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :– 1. श्री रघुवीर सिंह राठौड़, अभिभाषक, अपीलांट की ओर से।
2. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आरे से।
3. श्री धीरेन्द्र मालव, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 की ओर से।

**निर्णय** दिनांकः 15.09.2025

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलेक्टर(मुख्यालय) कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 14/2024 (2024/37) में पारित निर्णय दिनांक 20.06.2025 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलांट ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में मूलवाद के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थिया की माता प्रेमलता पत्नी भैरूलाल की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजी खसरा नम्बर 199 रकबा 3.78 हैक्टर वाके ग्राम बडोतिया पटवार हल्का गंदीफली, तहसील लाडपुरा कोटा राजस्थान में स्थित चली आ रही है। प्रेमलता का देहवसान दिनाक 17.04.2021 को व प्रार्थिया के पिता का देहवासान दिनांक 12.06.2023 को हो चुका है। प्रेमलता व भैरूलाल के पुत्र

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अर्थात प्रार्थिया के भ्राता राकेश गुप्ता का देहावसान भी दिनांक 18.12.2023 को हो चुका है, जिनके वारिस व उत्तराधिकारी अप्रार्थी क्रम–2 लगायत 4 है। प्रेमलता के देहावसान के बाद उनके खातेदारी व कब्जे काश्त की वाद विषयक आराजी उनकी पुत्री प्रार्थिया व अप्रार्थी क्रम 2 लगायत 4 का प्राप्त हुई है और उक्त आराजी मे प्रार्थिया का 1/2 हिस्सा व अप्रार्थी क्रम–2 लगायत 4 का 1/2 हिस्सा निहित चला आ रहा है। उक्त विवादित आराजी पर प्रार्थिया एवं अप्रार्थी क्रम 2 लगायत 4 काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रेमलता एवं भैरूलाल की पुत्री थी जिनका पूर्व नाम विनोद गुप्ता रहा है। किंतु अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा प्रेमलता व भैरूलाल के जीवनकाल में ही दिनांक 12.09.2001 को जामा मज्जिद दिल्ली में हिन्दू धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया था तथा अपना नाम भी विनोद के स्थान पर बदलकर ईराम रख लिया था और अप्रार्थी क्रम ने मुनव्वर शाह से दिनांक 12.09.2001 को मुस्लिम रीति रिवाजो के साथ निकाह भी कर लिया था, अप्रार्थी क्रम–1 द्वारा धर्म परिवर्तन कर लेने के कारण अप्रार्थी क्रम 1 का प्रार्थिया के माता–पिता प्रेमलता व भैरूलाल प्रार्थिया एवं अप्रार्थी क्रम 2 लगायत 4 के परिवार से किसी प्रकार से कोई संबंध नही रहा है। अप्रार्थी क्रम–1 द्वारा धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लेने के कारण प्रार्थिया के माता–पिता प्रेमलता व भैरूलाल ने अप्रार्थी क्रम 1 को पारिवारिक व्यवस्था अनुसार जो कुछ देना था, वह अप्रार्थी क्रम को राशि के रूप में दे दिया था और अप्रार्थी क्रम 1 से अपने सभी संबंध समाप्त कर उसे अपनी समस्त भूमि व अचल सम्पत्ति से बेदखल व परित्यक्त कर दिया था। जिसके कारण अप्रार्थी क्रम 1 का प्रार्थीया की माता प्रेमलता की सम्पत्ति मे कोई हक व हिस्सा नहीं रहा है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम केवल हिन्दुओ पर लागू होता है, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–2 के अनुसार जिन व्यक्तियों ने हिन्दू धर्म परिवर्तन कर अन्य धर्म ग्रहण कर लिया हो उन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है जिसके कारण प्रेमलता की मृत्यु के पश्चात् उनके वारिस व उत्तराधिकारी उनकी हिन्दू पुत्री व पौत्र, व पौत्री एवं पुत्र वधु प्रार्थिया व अप्रार्थी कम 2 लगायत 4 ही है और तथा प्रेमलता की मृत्यु के पश्चात् प्रार्थीया एवं अप्रार्थी क्रम 2 लगायत 4 को ही उत्तराधिकारी में प्राप्त हुई हैं जिनका की उक्त वाद विषयक सम्पत्ति पर एक मात्र कब्जा काश्त व आधिपत्य चला आ रहा है। अप्रार्थी क्रम 1 का उक्त आराजी से किसी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं है और ना ही अप्रार्थी क्रम 1 का उक्त आराजी एवं उसके किसी भी भाग पर कब्जा व अधिकार रहा है। किंतु फिर भी अप्रार्थी क्रम 1 कुछ भू–माफियाओं के साथ मिली भगत कर धोखे छल–कपट पूर्वक वास्तविक तथ्य व वास्तविक वर्तमान नाम को छिपाकर उक्त कृषि आराजी के राजस्व रिकोर्ड में अपना नाम दर्ज करवाकर विवादित आराजी को बेचान व खुर्द–बुर्द करने तथा प्रार्थिया अप्रार्थी क्रम 2 लगायत 4 के शांतिपूर्वक कब्जे में दखलंदाजी कर उनको बेदखल करने पर आमादा है। अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा दिनांक 12.03.2024 को वादी व अप्रार्थी क्रम 2 लगायत 4 के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में दखलंदाजी करने और उक्त आराजी को बेचान व खुर्द बुर्द करने धमकी दी, जिस पर प्रार्थिया ने अप्रार्थी क्रम 1 से कहा कि तुम्हारा उक्त आराजी मे कोई हक हिस्सा नही है। और ना ही तुम्हे उक्त आराजी को बेचान करने का अधिकार है। किंतु अप्रार्थी क्रम उल्टे लडाई–झगड़ा पर आमादा हो गई और प्रार्थिया को उक्त आराजी को बेचान व खुर्द–बुर्द करने की धमकी दी। प्रार्थिया का यह प्रथम दृष्टया केस है या सुविधा का संतुलन भी प्रार्थिया के पक्ष में ही निहित है यदि प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा प्रर्थीया एवं अप्रार्थी क्रम 2 लगायत 4 के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में दखलंदाजी कर प्रार्थियों व अप्रार्थी क्रम 2 लगायत 4 को बेदखल करने तथा उक्त आराजी व उसके किसी को बेचान व खुर्द–बुर्द करने के अवैध उद्देश्य मे सफल हो जाती है तो प्रार्थियों का वाद करना ही निरर्थक हो जावेगा और ऐसी क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति किया जाना किसी भी रूप में संभव नहीं हो पावेगा। अतः प्रार्थिया का

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी

निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ताफैसला वाद अप्रार्थी क्रम 1 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबन्द किया जावे कि अप्रार्थी क्रम 1 वादग्रस्त आराजी हाल खसरा नम्बर 199 की रकबा 3.78 हैक्टर पर प्रार्थिया व अप्रार्थी क्रम 2 लगायत 4 के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में दखलंदाजी ना करे, प्रार्थिया व अप्रार्थी क्रम 2 लगायत 4 को बेदखल ना करें और ना ही उक्त आराजी व उसके किसी भाग को बेचान व खुर्द–बुर्द करने का प्रयास करें ना ही स्वयं करे और ना ही अपने किसी प्रतिनिधी से करावे।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.06.2025 को प्रार्थीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम बडोदिया तहसील लाडपुरा की खसरा संख्या 199 रकबा 3.78 हैक्टेयर आराजी को बेचान, हस्तान्तरण एवं खुर्द बुर्द नहीं करने बाबत अप्रार्थी संख्या 1 को तथा कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करने बाबत अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का निवेदन किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.06.2025 से व्यथित होकर अपीलांट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.06. 2025 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.06.2025 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ। रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि न्याय एवं संचिका मे सिद्धी प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगणं द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रिकार्ड व राजस्व रिकार्ड के विपरीत जाकर स्वीकार करने मे त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम बडोदिया पटवार हल्का गंदीफली तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी ख० न० 199 रकबा 3.78 हेक्टर वर्तमान मे प्रार्थीया की माता प्रेमलता के खाते दर्ज रिकार्ड है अप्रार्थी कम 1 द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 से पूर्व दिनांक 12–1–2001 को मुस्लिम धर्म अपना लिया गया तथा दिनांक 12–9–2001 को मुस्लिम रीति रिवाजो के अनुसार मुन्नवर शाह से निकाह कर लिये अतः विवादित आराजी की सुरक्षार्थ हेतु इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीया के पक्ष मे ताफैसला वाद की जाती है कि "ग्राम बडोदिया पटवार हल्का गन्दीफली तहसील लाडपुरा ख० न० 199 की रकबा 3.78 हेक्टर आराजी को अप्रार्थी कम 1 किसी प्रकार से बेचान हस्तान्तरण एवम खुर्द बुर्द नहीं करे तथा प्रार्थीया एवम अप्रार्थी कम 2 लगायत 4 के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करे।" उक्त

आदेश प्रदान करने मे त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय पारित करने मे पूर्व वर्तमान जमाबंदी 2073 से 2076 को सहीं अवलोकन नहीं किया जिसमे स्पष्ट रूप से तीन खातेदार ब्रजबाला गुप्ता 1/3, राकेश गुप्ता 1/3 व विनोदगुप्ता 1/3 हिस्सा दर्ज खाता है इस प्रकार अपीलान्ट उक्त आराजी में 1/3 हिस्से की खातेदार है तथा रिकार्डेड सहखातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जासकती है इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान जमाबंदी को देखे बिना ही आदेश जेर अपील प्रदान करने मे त्रुटि की है। जब तक अपीलान्ट राजस्व रिकार्ड मे सहखातेदार है उसके विरूद्ध किसी प्रकार का स्थगन आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने कतई गलत रूप से यह मानकर कि अपीलान्ट ने हिन्दू धर्म छोडकर मुस्लिम युवक से शादी कर अपना नाम इराम रख लिया है जब कि अपीलान्ट के नाम ईराम एवम विनोद गुप्ता है दोनो ही नामो से अपीलान्ट जानी पहचानी जाती है। किसी भी सन्तान के अपने माता पिता के सम्पत्ति मे जो अधिकार बनते है धर्म परिवर्तन करने से समाप्त नहीं हो जाते है बल्कि उनके अधिकार अपने माता पिता की सम्पत्ति मे बरकरार रहते है उसी अधिकार के तहत अपीलान्ट को उपरोक्त आराजी मे 1/3 हिस्सा प्राप्त हुआ है जिसका अंकन वर्तमान जमाबंदी मे भी मौजूद है। उक्त नियम का हिन्दू–उत्तराधिकार अधिनियम का हवाला देना उक्त प्रकरण मे बताया गया है जिसके संबंध में निवेदन है कि कोई सम्पत्ति पेतृक हो माता पिता जिन्दा हो तो उनके रहते कोई उत्तराधिकार मे सम्पत्ति नहीं मांग सकता है लेकिन उनके स्वर्गवास होने के उपरान्त जितने भी उनके पुत्र पुत्रियां है उनको उक्त सम्पत्ति मे अधिकार होगा चाहे वह कोई भी धर्म स्वीकार कर ले। सहखातेदारी की भूमि मे प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जाता है चाहे खातेदार कहीं भी रहे यह सेटल लॉ है। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जेर अपील पारित करने में त्रुटि की है। उपरोक्त आराजी की अपीलान्ट 1/3 हिस्से की खातेदार है तथा काबिज है। रेस्पो० अपीलान्ट के कब्जे मे अनैतिक रूप से दखल कर रहे है तथा अपीलान्ट को काश्त करने में रूकावट पैदा करते है जिनका कि उनको कोई अधिकार प्राप्त नही है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.06.2025 निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट सर्वथा गलत व असत्य तथ्यों के आधार अपील पेश की है जो खारिज होने योग्य है। वादग्रस्त आराजी में अपीलांट का कोई कब्जा काश्त वर्तमान में नहीं है तथा पूर्व में कभी भी वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त नहीं रहा है। अपीलांट द्वारा अपने पिता भैरूलाल के जीवनकाल में ही दिनांक 12.09.2021 को मुस्लिम धर्म ग्रहण किया जा चुका है तथा धर्म परिवर्तन कर लेने के कारण अपीलांट का रेस्पोडेन्टगण के परिवार से कोई सम्बंध नही रहा है। अतः अपीलांट का उसकी माता प्रेमलता के खाते की भूमि में अब कोई हक अधिकार शेष नहीं रहा है। अपीलांट संयुक्त हिन्दु परिवार की सदस्य नहीं रही है अतः अपीलांट पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी को राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं के नाम दर्ज करवाकर खुर्द बुर्द व बेचान करने पर आमादा है जिसका अपीलांट को कोई अधिकार नहीं है। अपीलांट का ना तो वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त है ओर ना ही अपीलांट का वादग्रस्त आराजी में कोई हक अधिकार निहित है। अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु अपीलांट के पक्ष में नहीं है। इसके विपरीत रेस्पोडेन्टगण का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त है तथा वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्टगण के हक अधिकारों की भूमि है। अतः अपीलांट वादग्रस्त आराजी के सम्बंध में किसी

प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 20.06.2025 में अपीलांट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का जो आदेश अंकित किया है वह विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.06.2025 विधि सम्मत होने से इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने न्यायिक दृष्टांत 2016(2) आर.आर.टी. पेज 1084, 2015(1) आर.एल.डब्ल्यु. पेज 450, 2015 डब्ल्यु.एल.सी.(राज.) यू.सी. पेज 740 प्रस्तुत किए। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.06.2025 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम बडोदिया तहसील लाडपुरा की खसरा संख्या 199 रकबा 3.78 हैक्टेयर आराजी के सम्बंध में अप्रार्थी संख्या 1 अपीलांट के विरूद्ध प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं किए जाने तथा वादग्रस्त आराजी को खुर्द बुर्द नहीं किए जाने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 के अनुसार वादग्रस्त आराजी प्रेमलता पत्नि भैरूलाल के खाते दर्ज रिकॉर्ड है तथा इसी जमाबंदी में नामान्तरकरण संख्या 1641 दिनांक 23.02.2024 विरासत से प्रेमलता पत्नि भैरूलाल के स्थान पर ब्रजबाला गुप्ता पुत्री प्रेमलता, राकेश गुप्ता पुत्र प्रेमलता, विनोद गुप्ता पुत्री प्रेमलता का नामान्तरकरण प्रक्रियाधीन होने का अंकन है। यह उभयपक्षकारान द्वारा स्वीकृत तथ्य है कि वादग्रस्त आराजी की खातेदार अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की माता प्रेमलता का स्वर्गवास हो चुका है। राजस्व रिकॉर्ड में वादग्रस्त आराजी मृतक प्रेमलता की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है तथा प्रेमलता की विरासत का नामान्तरकरण प्रक्रियाधीन है। हस्तगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कथन रहा है कि अप्रार्थी संख्या 1 अपीलांट द्वारा अपने माता पिता के जीवनकाल में मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिए जाने के पश्चात अपीलांट का रेस्पोडेन्टगण के परिवार के साथ कोई सम्बंध नहीं होने से अपीलांट हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अपनी माता प्रेमलता के खाते की भूमि में स्वयं का हक अधिकार समाप्त कर चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में अपने पिता भैरूलाल की मृत्यु दिनांक 12.06.2023 को तथा माता प्रेमलता की मृत्यु दिनांक 17.04.2021 को होना तथा अप्रार्थी अपीलांट द्वारा दिनांक 12.09.2001 को मुस्लिम रीति रिवाजों के साथ निकाह करना स्वीकार किया है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में विधि के महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न अन्तर्निहित है जिनका निर्धारण अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन मूलवाद के अंतिम निस्तारण में उभयपक्षकारान की साक्ष्योपरांत ही किया जाना संभव है। चूंकि वादग्रस्त आराजी अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की माता प्रेमलता के खाते दर्ज है तथा प्रेमलता की विरासत का नामान्तरकरण प्रक्रियाधीन है अतः ऐसी स्थिति में यदि अपीलांट वादग्रस्त आराजी को स्वयं के नाम दर्ज होने के आधार पर वादग्रस्त आराजी को दीगर को हस्तांतरित अथवा खुर्द बुर्द करती है तो उभयपक्षकारान के मध्य वाद बहुलता बढ़ने की संभावना है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि को संरक्षित किया जाना आवश्यक है ताकि वाद बहुलता नहीं बढ़े तथा उभयपक्षकारान को

अनेकानेक विवादों में नहीं उलझना पड़े। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 20.06.2025 में अप्रार्थी संख्या 1 अपीलांट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का जो आदेश अंकित किया है वह विधि सम्मत है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.06.2025 विधि सम्मत होने से इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर(मुख्यालय) कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 14/2024(2024/37) में पारित निर्णय दिनांक 20.06.2025 यथावत रखा जाता है।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 15.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/9/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा